क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	टिप्पणी/तारीख
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

B.C.C.A. वाद सं0- 43 /2019 राज्य बनाम सुनील कुमार उर्फ पिन्टु

-: आदेश :-

30-03-2019 यह कार्यवाही बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के तहत की जा रही है। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ने अपने पत्रांक-1228/सी.आर. दिनांक 09.03.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि **सुनील कुमार उर्फ पिन्टु पे0 रामदेव दास, सा0 बिहारीगंज, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा** एक अपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है। इनके विरुद्ध मधेपुरा जिला के **बिहारीगंज थाना** में कांड दर्ज हैं तथा तत्संबंधी आरोप पत्र भी समर्पित किया जा चुका है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। ये साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले अपराधकर्मी हैं। आसन्न लोक सभा आम चुनाव 2019 को देखते हुए यह अपराधी काफी सक्रिय एवं असमाजिक तत्त्वों के साथ सांठ-गांठ कर चुनाव के अवसर पर या उससे पूर्व विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था को भंग कर सकते हैं। गुप्त सूचना मिली है कि लोक सभा चुनाव में खेड़े किसी विशेष प्रतिनिधि को लाभ पहुँचाने के लिए पंचायत के वोटरों को डरा धमका कर एवं विधि विरुद्ध कार्यो में शामिल होकर लोक शांति को भंग कर सकता है तथा विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इनके विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत निरुद्ध करने पर बल दिया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार इनका अपराधिक इतिहास निम्नवत हैं :-(1) बिहारीगंज थाना कांड सं0-173/16, दि. 13.10.16, धारा-147/148/149/341/332/333/353/427/1562295ए/295 भा.द.वि.।

प्रतिवादी की ओर से लिखित अभिकथन दाखिल किया गया। विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि ये टी.भी. मैकेनिक हैं एवं अपना दुकान बिहारीगंज में चलाते हैं। इनके विरुद्ध धारा-3(3) का मामला नहीं बनता है, क्योंकि इनके विरुद्ध एक ही मामला प्रतिवेदित है। सी.आर.डब्लू.जे.सी.सं0-100/1995 में दिनांक 26-04-1995 को पारित आदेश का हवाला देते हुए बताया गया कि एक मामले रहने पर सी.सी.ए. का वाद चल नहीं सकता है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया है। माननीय न्यायालय से उक्त मामले में जमानत पा चुके हैं। समाज में हमेश शांति कायम रहे, ऐसा प्रयास किया जाता रहा हैं। इनका कोई अपराधिक इतिहास नहीं रहा है। किसी भी राजनैतिक दल से कोई सम्पर्क नहीं रहा है और न ही किसी दल का प्रचार प्रसार किया करते हैं। ग्रामीण विद्वेष के कारण इन्हें गलत आरोप लगाकर तंग-तवाह करने की नीयत से फसाया गया है। चुनाव में किसी प्रकार का बाधा नहीं डालेगा, ऐसा न्यायालय को विश्वास दिलाया जाता है। इसलिए उक्त लिखित कथन में अंकित तथ्यों पर विचार करते हुए आरोप से मुक्त किया जाय।

प्रतिवादी के कथन का विरोध करते हुए विज्ञ अपर लोक अभियोजक के द्वारा बताया गया कि उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी के विरुद्ध प्रतिवेदित कांड संगीन प्रकृति की है। इनके द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया हैं, जिसमें ये आरोपित हैं। जमानत मिल जाने से दोषमुक्त नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादी का कथन पूर्णतया मिथ्या है। ऐसे प्रवृति के व्यक्ति चुनाव के समय स्थानीय लोगों को भड़का कर उनकी मदद से मतदान में व्यवधान उत्पन्न कर सकता हैं। इनके इस स्वभाव के कारण मतदाताओं में भय होना स्वभाविक है। इसलिए इन्हें प्रतिबंद्धित किया जाना जरूरी है तथा मत प्रयोग करने हेतु केवल मतदान के दिन की छूट दी जा सकती है।

उभय पक्षों को सुनने के बाद प्रतिवादी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम- 1981 की धारा-2(डी)(1) के अन्तर्गत ये "असामाजिक तत्त्व" हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य से आम जनता में भय व्याप्त है, जिससे आमजन के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये खतरनाक है। जिस तरह के मामले दर्ज हैं, उससे प्रतीत होता है कि इनके द्वारा समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं आपसी बेमनसता बिगाड़ने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। संबंधित न्यायालय के द्वारा इन्हें दोषमुक्त नहीं किया गया है। आरोप गंभीर है। इनके इस हरकत को देखते हुए शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ना स्वभाविक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है।

अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर **सुनील कुमार उर्फ पिन्टु पे0 रामदेव दास, सा0 बिहारीगंज, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा** को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-3 की उपधारा-3 के अन्तर्गत 13-मधेपुरा लोक सभा चुनाव-2019 की सम्पूर्ण मतदान प्रकिया पूरी होने तक के लिए **उदाकिशुनगंज अनुमंडल के उदाकिशुनगंज थाना बदर** किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति की तिथि से मधेपुरा जिला के **उदाकिशुनगंज थाना** में सदेह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 10:00 बजे पूर्वा0 से 12:00 अप0 के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करायेंगे। यदि वे दिनांक **23-04-2019** को अपना मत का प्रयोग करना चाहेंगे, तो उन्हें लिखित सूचना **उदाकिशुनगंज थाना** में, मतदान केन्द्र पर पहुँचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण ब्यौरा समर्पित करेंगे, तत्पश्चात् थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे। **थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज** को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में इसके लिए एक उपस्थिति पंजी संधारित करेंगे और उसमें **सुनील कुमार उर्फ पिन्टु पे0 रामदेव दास, सा0 बिहारीगंज, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा** का नाम अंकित कर प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करायेंगे। इसका साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को निरन्तर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, **बिहारीगंज/ उदाकिशुनगंज** को भेजें।

इस आदेश की प्रति प्रतिवादी को तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष, **बिहारीगंज** को भेजें।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को, थानाध्यक्ष, **बिहारीगंज** को अपने स्तर से तामिला हेतु तथा मधेपुरा जिले के सभी थानाध्यक्षों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने संबंधी निदेश देने के लिये अग्रसारित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को भी आम जनता में प्रचार-प्रसार हेतु भेजें एवं एक प्रति मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु भेजें।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

डी0बी0नं0 410 /न्या0, दिनांक 30/03/19

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, **बिहारीगंज/ उदाकिशुनगंज** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सुनील कुमार उर्फ पिन्टु पे0 रामदेव दास, सा0 बिहारीगंज, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।